(5) (58)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः मनोज गोयल,
प्रशा0 सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 1201–दो/10 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–8–10 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 82/2008–10/निगरानी.

राजेन्द्र जाट पुत्र रमेश चंद जाट
निवासी ग्राम बमूली गुसाई
हाल निवासी बड़ोदा रोड श्योपुर ——— आवेदक

विरूद्ध

बल्ला पुत्र नारायण जाति बैरवा
निवासी ग्राम बमूली गुसाई, तहसील
व जिला श्योपुर म.प्र. ——— अनावेदक

श्री भूपेन्द्र माहौर, अधिवक्ता, आवेदक ।
श्री अशोक राठौर,, अधिवक्ता, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/5/15 को पारित)

.....

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 82/09–10/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 12–8–10 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा कलेक्टर श्योपुर के न्यायालय में संहिता की धारा 50 के तहत आवेदक के पक्ष में तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 70/04–05/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 6–9–05 के द्वारा किए गए व्यवस्थापन आदेश को स्वमेव निगरानी में लिए जाने हेतु आवेदन दिया गया । इस आवेदन पर कार्यवाही करते हुए कलेक्टर ने आदेश दिनांक 3–8–10 द्वारा अनावेदक का संहिता की धारा 48 का आवेदन स्वीकार कर उक्त अभिलेख तलब किए जाने के आदेश दिए । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में

प्रश्नाधीन आदेशों की प्रमाणित प्रति पेश किए जाने से छूट दी गई है । कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि गैर निगरानीकर्ता द्वारा नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए किंतु उनको नकल नहीं दी गई । उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि उनके न्यायालय द्वारा 6 पत्र लिखे गये किंतु रिकार्ड रूम से प्रकरण कमांक 70 / 04–05 / अ–19 नहीं मिल पाया और उक्त आधार पर उन्होंने संहिता की धारा 48 के प्रावधानों के तहत प्रमाणित प्रति पेश किए जाने से छूट दी गई है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए कलेक्टर के आदेश में कोई अनियमितता एवं अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती है और ना ही कोई विधिक त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय ने उनके आदेश को स्थिर रखने में की गई है । प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर अभी कलेक्टर न्यायालय में होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है, उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशा0 सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर